हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)

HFDC

ई–निविदा दस्तावेज

निविदा संख्या 01/2018–19

कार्य का नामः वन एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई,लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठों एवं वन उपज को गाडी में चढाना एवं उतारना, वन डिपों में परिवहन, वन उपज की ढेरियां/लाट बनाना, कटे वृक्षो की मुढियां निकालना इत्यादि।

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरूक्षेत्र

दूरभाशः 01744–230364

ई.मेलः gm.kurukshetra@hfdc.gov.in वेबसाईटः www.hfdc.gov.in

निविदा केता का नामः..

विषय सूची

कम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रण सूचना	03
2	तकनीकी निविदा फार्म	04–05
3	वित्तीय वोली	06
4	हल्फनामा	07
5	वचनपत्र	08
6	अनुबन्ध पत्र	09
7	निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्तें	10–11
8	अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें	12

प्रैस विज्ञप्ति

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)
कार्यालयः महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरूक्षेत्र
दूरभाष /फैक्स न0 01744-230364 ई.मेलः gm.kurukshetra@hfdc.gov.in
वेबसाईट www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 01/2018-19

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरूक्षेत्र द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए हरियाणा में पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से वन एवं गैर वन क्षेत्रों से वृक्षों की कटाई, लट्ठों में रूपान्तरण, लट्ठों एवं अन्य वन उपज को गाडी में चढाना एंव उतारना, वन डिपो तक परिवहन, वन उपज की ढेरियां/लाट् बनाना, कटे वृक्षो की मुढियां निकालना आदि नीचे अंकित कार्यो के लिए वर्ष 2018-19 के लिए (दिंनाक 31.03.2019 तक करवाये जाने वाले कार्यो के लिए) दर अनुबन्द करने के लिए online निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं । दिंनाक 31.03.2019 तक इस यूनिट की सीमा में (कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, भिवानी व जीन्द जिलो में तथा अन्य साथ लगते राज्यों में) लगभग 4000 घःमीः हरे, सूखे, गिरे व पड़े वृक्षों की कटाई का कार्य करवाया जाना हैं । काटे जाने वाले वृक्षों की मात्रा कम/अधिक हो सकती हैं । इस कार्य पर अनुमानित खर्च 40.00 लाख रुपये होगा । अनुमानित खर्च की राशि करवाये जाने वाले कार्य अनुसार कम/अधिक हो सकती हैं । यह निविदा दिनांक 19.03.2018 से 02.04.2018 बाद दोपहर 2.30 बजे तक online आमन्त्रित की जाती है । तकनीकी बोली दिंनाक 03.04.2018 को दोपहर पहले 11.30 बजे व वित्तीय बोली बाद दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी । इस कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज/जानकारी इस निगम की वेबसाईटः www.hfdc.gov.in & https://haryanaeprocurement.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं । इस कार्य की निविदा के लिए फार्म फीस ₹500/- (पांच सो रुपये) व ई-टैण्ड्रिंग की फीस ₹1000/- (एक हजार रुपये) तथा अनुमानित कार्य की राशि का 2 प्रतिशत ₹80000/- (अस्सी हजार रुपये) बतौर ब्याना राशि अलग से e-procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in पर जमा करवानी होगी ।

महाप्रबन्धक
हरियाणा वन विकास निगम
कुरूक्षेत्र ।

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Haryana Govt. Undertaking) Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.	
NATURE OF WORK: FELLING OF TREES FROM FOREST AND NON-FOREST AREAS WITH EXTRACTION OF STUMPS UPTO ONE METRE DEPTH, CONVERSION INTO LOGS, FUEL WOOD, MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF ROUND TIMBER COMPLETING ALL WORKS INCLUDING FILLING OF PITS ETC.	
TECHNICAL BID	
1. NAME AND FULL ADDRESS OF THE TRANSPORTER/AGENCY/FIRM WITH MOBILE NO. AND E-MAIL ADDRESS	
2. NAME OF THE PROPRIETOR/PARTNERS OF THE TRANSPORTER/AGENCY/FIRM.	
3. LEGAL STATUS OF TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM. A) PAN NUMBER B) GST NUMBER. C) EPF NO. D) ESI NO.	
4. HAVE YOU DEPOSITED EMD, FORM FEE, E-TENDER SERVICE FEES ETC? IF YES, GIVE FULL DETAIL OF DEPOSITED AMOUNT.	
5. HAVE YOU ATTACHED ALL RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO TENDER ? IF YES, GIVE LIST OF ALL DOCUMENTS SEPARATELY. * AFFIDAVIT ON STAMP PAPER ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC CERTIFYING CLEARLY THAT THE INFORMATION GIVEN BY THE AGENCY/ FIRM ARE TRUE AND CORRECT AND ALSO ACCEPT THE ALL TERMS & CONDITIONS GIVEN IN THE TENDER. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE) * UNDERTAKING ON THE LETTER HEAD BY THE AGENCY/ FIRM TO KEEP THE FINANCIAL BID VALID FOR THE STIPULATED DECIDED TIME PERIOD TILL THE COMPLETION OF THE WORK. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE)	
6. DETAILS OF BANK OF TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM. A) NAME OF BANK B) BANK BRANCH WITH FULL ADDRESS C) TYPE OF ACCOUNT D) ACCOUNT No. E) IFSC CODE	

F) BANK ACCOUNT STATEMENT FOR THE LAST SIX MONTHS	
7. WORK EXPERIENCE (EXPERIENCE OF WORK WITH HARYANA FOREST DEPARTMENT/ HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION OR ANY GOVT. DEPTT. FOR THE WORK FOR WHICH THE TENDER HAS BEEN APPLIED.)	
8. SIGNED COPY OF TERMS & CONDITIONS PAGES.	
9. WHETHER THE APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS TO LEAVE/POSTPONE ANY WORK AFTER TAKING INTO HANDS/IT'S INITIATION WITHIN SIX MONTH OF ALLOTMENT OF TENDER AND WORK. IF YES, GIVE DETAILED REASONS OF LEAVING/POSTPONEMENT OF WORK WITH THE NAME OF THAT PROJECT AND WORK.	
10. WHETHER THE APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS LEFT ANY WORK BEFORE IT'S COMPLETION. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH BASIC REASONS FOR WHICH THE WORK HAD BEEN LEFT.	
11. WHETHER APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS BEEN BLACK LISTED AFTER APPLYING FOR WORK OR AFTER ALLOTMENT OF WORK IN ANY GOVT. ORGANISATION AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH REASONS.	
12. WHETHER APPLICANT TRANSPORTER/ AGENCY/ FIRM HAS BEEN CONVICTED BY THE HON'BLE COURT AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS .	
13. IF ANY OTHER INFORMATIONS, WHICH IS IMPORTANTENT/ NECESSARY AS PER YOUR OPINION, GIVE DETAILS.	

SIGNATURE OF THE BIDDER

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED							
(Haryana Govt. Undertaking)							
Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.							
NATURE OF WORK: FELLING OF TREES FOREST AND NON-FOREST AREAS WITH EXTRACTION OF STUMPS 1 METRE DEPTH, CONVERSION INTO LOGS, FUEL WOOD, MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF ROUND TIMBER & FUEL WOODD COMPLETING ALL WORKS INCLUDING FILLING OF PITS ETC.							
FINANCIAL BID							
S.N.	NAME OF WORK	UNIT		RATE PER CUM M3 /STACKED M3 (IN RS.)			
				EUC.		OTHER SPECIES	
				GREEN TREES	DEAD & DRY TREES	GREEN TREES	DEAD & DRY TREES
1	FELLING OF TREES, CONVERSION INTO LOGS, MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF ROUND TIMBER COMPLETING ALL WORKS INCLUDING FILLING OF PITS ETC. (APPROXIMATE/AVERAGE DISTANCE OF 25 KM. FROM FELLING SITE TO SALE DEPOT)	R/T	M3				
2	AFTER FELLING OF TREES CONVERSION INTO FUEL WOOD, MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF FUEL WOOD COMPLETING ALL WORKS ETC. (APPROXIMATE/AVERAGE DISTANCE OF 25 KM. FROM FELLING SITE TO SALE DEPOT)	F/W	STM3				
1A.	FELLING OF TREES WITH EXTRACTION OF STUMPS UPTO ONE METRE DEPTH, CONVERSION INTO LOGS, MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF ROUND TIMBER COMPLETING ALL WORKS INCLUDING FILLING OF PITS ETC. (APPROXIMATELY/AVERAGE DISTANCE OF 25 KM. FROM FELLING SITE TO SALE DEPOT)	R/T	M3				
2A.	AFTER FELLING OF TREES WITH EXTRACTION OF STUMPS UPTO ONE METRE DEPTH, CONVERSION INTO FUEL WOOD MEASUREMENT, RECORDING, LOADING, CARRIAGE, UNLOADING & STACKING (MAKING LOTS) IN SALE DEPOT OF FUEL WOOD COMPLETING ALL WORKS ETC. (APPROXIMATE/AVERAGE DISTANCE OF 25 KM. FROM FELLING SITE TO SALE DEPOT)	F/W	STM3				

SIGNATURE OF THE BIDDER

हल्फनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.....................................को पिछले पाँच वर्षो के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्ध किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/ र्तो को बिना किसी र्त के स्वीकार करता हूँ/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
शीर्षक..
फर्म का नाम..
दिनांक...

वचनपत्र

मै/हमारी फर्म मैसर्ज.. इस निविदा को जमा करवाने से छः महीने की अवधि तक वैध रखने के लिए वचनबद्ध हूँ और इस बोली को 12 महीने की अवधि तक स्वीकार करता हूँ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद...

फर्म का नाम...

दिनांक..................................

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध दिनांक..................................2018 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक.. व .... (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा ....(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आंमात्रित की गई थी।.................................. सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

कार्य का नाम..

स्वीकृत दर..

दिनांक........................... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्देशों व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय-समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तो को भी मानने के लिए तैयार है।

निविदाकार द्वारा अपने पत्र कमांक................................दिनांक............................. द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र कमांक................................दिनांक................. के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्देशों व शर्तो के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

<u>इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से है:-</u>

1. इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तो मे दर्शाया गया है।

2. निगम के निर्देशो व शर्तो के अनुसार किये गये कार्यो की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।

3. निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी

गवाह

1.

2.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

1.

2.

भाग–I : निविदा सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्ते

- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईटः www.hfdc.gov.in & https://haryanaeprocurement.gov.in से निर्धारित तिथियों के मध्य डाउनलोड किये जा सकते है । परन्तु आवेदक को निर्धारित शुल्क e-procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in के माध्यम् से जमा करवानी होगी ।
- वित्तीय बोली में सविंदाकारों द्धारा जो दर भरे जायेगें उसमे सभी प्रकार के खर्च (ई.पी.एफ.,ई.एस. आई.,जी.एस.टी. टैक्स,सुरक्षा उपकरण,औजार ईत्यादि) जो कि लेबर को दिये जाने बनते हैं शामिल करने होगे अलग से किसी प्रकार का खर्च इस निगम द्धारा अदा नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर ईत्यादि समय–2 पर भारत सरकार/ हरियाणा सरकार द्धारा लगाया जायेगा, वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा ।
- सफल बोलीदाता/कार्य करवाने वाले सविंदाकार को लेबर की सूचि (कार्य करने वाले का पूरा पता सहित्) निगम को देनी होगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि उस द्धारा प्रत्येक लेबर को चैक/आर.टी. जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम् से कितनी–2 राशि अदा की गई हैं, बैंक खाता सहित् पूर्ण विवरण देना होगा ।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्धि पत्र या सूचना हरियाणा वन विकास निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेगें ।
- निविदा खुलने की तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी ।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्ते आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तो पर विचार नही किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2017–18 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मो के साथ अनुबन्ध किया जाएगा ।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती हैं। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा निविदा भरने से पूर्व निविदा सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लिए गये है।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारुप मे भरेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्द कर दी जायेगी ।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी ।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज आवश्यक स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठो पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- फर्म के पंजीकरण की प्रति।
- पैन कार्ड की प्रति
- वानिकी कार्य का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है तथा वह निविदा मे अंकित नियम व शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारुप संलग्न)
- फर्म/एजैन्सी के लेटर हैड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने बारे वचन पत्र (प्रारुप संलग्न)

  उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। किसी प्रंकार के आवश्यक दस्तावेज को बोली/निविदा खोलने के समय या उसके बाद जमा करवाने बारे कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की प्रतियां भी निविदा खोलने से पूर्व समय पर भरेगें ।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्ही की ही खोली जायेगी। अधूरी निविदाओ पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यो द्वारा आंकडो व शब्दो की दरो में अन्तर पाये जाने पर, शब्दो मे लिखी दर को माना जायेगा ।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के भरी गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोशणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नही की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध मे निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
- चयनित ठेकेदार आफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिन की अवधि में महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र के साथ अनुबन्ध करेगा । 7 दिन में अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की पूर्व जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि ठेकेदार चाहे तो वह लिखित आवेदन कर उक्त जमानत राशि भविष्य में उक्त कार्य के करने पर बनने वाले रनिंग बिल से भी कटवा सकता है। चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अन्य ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबन्ध नहीं करने वाले ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- कार्य की मात्रा व गुणवता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नही करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी ।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से 12 मास की अवधि की होगी। 12 महीने की अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियो में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओ को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओ के जवाब लिखित मे या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नही दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निष्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओ जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नही पाई जाती उनकी ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- ठेकेदार जिसका नजदीकी सम्बन्धी वन विभाग या इससे सम्न्धित बोर्ड या कार्पोरेशन में कार्यरत होगा वह कार्य के लिए निविदा देने का पात्र नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करने पर विभाग के ठेकेदार अनुमोदित सूचि से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होंगी।
- पीस रेट कान्ट्रैक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय-समय पर जारी एवं प्रचलित अधिनियम (CONTRACT LABOUR (REGULATION & ABOLIATION) ACT, 1970; MINIMUM WAGES ACT; PAYMENT WAGES ACT; BONUS ACT; GRATUITY ACT; E.S.I ACT etc.) नियमों एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा निर्देश की उल्लघना होने की परिस्थिति में यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो यह राशि अथवा मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक- कम-प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला **कुरुक्षेत्र** न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

....

भाग–II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्ते

1. वृक्षों की कटाई से पूर्व हरियाणा वन विकास निगम के कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित विभाग/एजैंसी से कटाई किये जाने वाले वृक्षों का चार्ज मार्किग सूची अनुसार लिया जायेगा । जिस क्षेत्र के वृक्षों की कटाई हेतु चार्ज लिया जायेगा उसकी मार्किंग सूचि व चार्ज रिर्पोट की प्रति कटाई करवाने वाले सविंदाकार को भी उपलब्ध करवाई जायेगी ।
2. सविंदाकार द्वारा मार्किंग सूचि व चार्ज रिर्पोट के अनुसार ही वृक्षों की कटाई एवं अन्य सम्बन्धित कार्य करवाये जायेगें। वृक्षों की कटाई का कार्य निगम के कर्मचारी के निरीक्षण मे करवाया जायेगा। संविदाकार द्वारा निगम के कर्मचारी/प्रतिनिधि द्वारा निर्देशित वृक्षों की ही कटाई एवं अन्य सम्बन्धित किये जायेगें। इसके अलावा कटाई करने पर संविदाकार का अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा तथा ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी। संविदाकार को निगम से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जायेगा।
3. संविदाकार द्वारा कटाई, रुपान्तरण, ढुलाई, उतराई, परिवहन, जड खुदाई के लिए आवश्यक मानव संसाधन, औजार, वाहन एवं मशीनरी का प्रबन्ध अपने स्तर पर करना होगा। हरियाणा वन विकास निगम प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने के अलावा किसी प्रकार की सहायता नही करेगा।
4. हरियाणा राज्य में मुख्यतः वृक्षों की कटाई का कार्य सडकों, नहरों, रेलवे लाईनों या किसी संस्था में खडे वृक्षो के लिये किया जाता है। ये क्षेत्र दुर्घटना सम्भावित स्थल होते है। इसलिए संविदाकार वृक्षों की कटाई सम्बन्धित कार्य करते समय सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध करेगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो।
5. वृक्षों की कटाई, ढुलाई, स्टैकिंग आदि का कार्य करवाते समय किसी प्रकार के नुकसान की जिम्मेवारी पूर्ण रुप से सम्बन्धित कार्य करवाने वाले सविंदाकार की होगी ।
6. संविदाकार वृक्षों की कटाई एवं सम्बन्धित कार्य निगम कर्मचारी के दिशा निर्देशानुसार ही करेगा। अपनी मर्जी अनुसार कोई भी कार्य नही करेगा। कई बार किसी जगह पर प्राथमिकता के आधार पर कटाई करवानी पडती है, इसलिए संविदाकार को वर्क आर्डर जारी करने के एक सप्ताह के अन्दर कटाई का कार्य करना होगा।
7. सविंदाकार द्वारा जहाँ आवश्यक होगा, सभी वृक्षों की जड़े निकलवाने का कार्य करवाना होगा । इस बारे में वृक्षों की कटाई आरम्भ करवाने से पूर्व निगम के कर्मचारी/प्रबन्धक द्वारा लिखित रुप में बताई जायेगी ।
8. सविंदाकार द्वारा वृक्षों की कटाई का कार्य (टिम्बर का साईज, बालन की ग्रेड़िग ईत्यादि) निगम के फील्ड् कर्मचारी द्वारा बताये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करवाना होगा ।
9. सविंदाकार द्वारा काटी गई वन उपज की पैमाईश निगम के कर्मचारी की देखरेख में करवाई जायेगी । किसी प्रकार के वाद–विवाद का निपटान निगम के प्रबन्धक/ महाप्रबन्धक के समक्ष लाया जायेगा जिसका निर्णय सविंदाकार/कर्मचारी द्वारा माना जायेगा ।
10. सविंदाकार द्वारा वृक्षों की कटाई का कार्य दी गई समयावधि के दौरान करवाना होगा जो कि निगम के प्रबन्धक/कर्मचारी द्वारा लिखित रुप में बताई जायेगी ।
11. काटी गई वन उपज की वन डिपो से सेल डिपो में ढुलाई सूर्य अस्त के पश्चात् नहीं की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ढुलाई की जाने वाली वन उपज का रवाना चालान साथ लगा हैं । यह रवाना चालान निगम के कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा। रवाना चालान मे अंकित वन उपज को डिपो मे पहुँचाकर उसे प्रजातिवार निगम कर्मचारी के निर्देशानुसार चट्टो मे लगाना होगा।
12. सविंदाकार द्वारा कटवाये गये वृक्षों का बिल जिसमें रीच/क्षेत्र का नाम व वृक्षों की किस्म, श्रेणी वाईज अलग–2 दी जायेगी । सविंदाकार द्वारा करवाये गये कार्य के बिल पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से आवश्यक प्रमाण–पत्र लेना होगा ।
13. इस कार्य सम्बन्धित अन्य शर्ते वर्क आर्डर जारी करते समय या कार्य करने के दौरान भी विशेष रुप से मौखिक व लिखित रुप मे संविदाकार को सूचित की जा सकती है। जिनकी वह मौके पर कार्य करते समय पालना करेगा।
14. प्रत्येक संविदाकार को Technical Bid निर्धाति प्रपत्र पर भरकर देनी होगी । यदि किसी संविदाकार की Technical Bid अधूरी पाई गई तो, उसकी Financial Bid पर विचार नहीं किया जायेगा ।
15. वृक्षों की कटाई का कार्य कुशल कारगीरों द्वारा ही करवाया जायेगा । यह सभी कार्य तभी पूर्ण रुप से सही माने जायेगे जब करवाये गये कार्य पर सम्बन्धित निगम के ईन्चार्ज/प्रबन्धक अपना प्रमाण–पत्र देगे कि करवाया गया कार्य सही हैं ।
16. सविंदाकार द्वारा वृक्षों की कटाई कार्य के बिलों पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से बिल पर प्रमाण–पत्र लेना होगा तभी सम्बन्धित बिल की अदायगी सविंदाकार को आर.टी.जी.एस. /एन.ई.एफ.टी./चैक के माध्यम् से ही की जायेगी ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
कुरुक्षेत्र ।